प्रेषक,

विजय कुमार आजाद
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट0)
सीतापुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
सीतापुर।

विषय श्रीमान जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2023–2024 के पैरा 1 (c), 1 (f), 1 (f) (i), 1 (f) (ii), 1 (f) (iii), 1 (f) (iv), 1 (l), 1 (m) एवं पैरा 4 में दी गयी प्रतिकूल टिप्पणियों को संशोधित कर उच्चीकृत (Upgrade) किये जाने हेतु प्रत्यावेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के पद पर नियुक्त रहा है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2023–24 के पैरा 1 (c), 1 (f), 1 (f) (i), 1 (f) (ii), 1 (f) (iii), 1 (f) (iv), 1 (l), 1 (m) एवं पैरा 4 में तथ्यों के विपरीत, प्रतिकूल टिप्पणी का प्रस्तरवार प्रत्यावेदन निम्नवत् है–

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (c) में प्रार्थी को सामान्यतः शांत स्वभाव का होना उल्लिखित किया है एवं ऐसे किसी विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख नहीं किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि मेरे द्वारा न्यायालय, कार्यालय, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के साथ में क्रोधवश अपना विवेक खो दिया गया है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 1 (f) में कहा है कि तार्किक और तर्क संगत निर्णय नहीं किये, लेकिन उनको अच्छी हिन्दी भाषा में व्यक्त किया गया है। मेरे द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों का, विधिसम्मत् विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अब तक कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी किसी भी माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा मेरे द्वारा, पारित निर्णय की बाबत, मेरे विरूद्व नहीं की गयी है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (f) (i)– तथ्यों की क्रमबद्धता (Marshaling of facts)- Facts were not linked with events and allegations, drawing a wrong conclusion. मेरे द्वारा पारित निर्णयों 1– पी0एस0टी0 3010/2019, सरकार बनाम मुश्ताक उर्फ छोटू, 2– पी0एस0टी0 1840/2018 सरकार बनाम रोशन, 3– पी0एस0टी0 2582/2017 सरकार बनाम संतोष, 4– पी0एस0टी0 1451/2017 सरकार बनाम अनिल कुमार उर्फ टीटू, 5– पी0एस0टी0 2846/2017 सरकार बनाम अमित कुमार और अन्य, 6– पी0एस0टी0 1651/2021 सरकार बनाम अमन, 7– परिवाद 111/2017 श्रीमती नेमा देवी बनाम अजय और अन्य, में लगे आरोप एवं उनसे सम्बन्धित तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विधिक सिद्धांतो का पालन करते हुये, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवथाओं के प्रकाश में, गुणदोष के आधार पर, विधि सम्मत्, तर्क सम्मत एवं साक्ष्य सम्मत् उचित निर्णय पारित किये गये है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन है, जिनकी पुष्टि हेतु वार्षिक प्रविष्टि में वर्णित कुछ निर्णयों 1– पी0एस0टी0 3010/2019 सरकार बनाम मुश्ताक उर्फ छोटू, 2– पी0एस0टी0 2582/2017 सरकार बनाम संतोष, 3– पी0एस0टी0 2846/2017 सरकार बनाम अमित कुमार और अन्य, 4– पी0एस0टी0 1651/2021 सरकार बनाम अमन, 5– परिवाद 111/2017 श्रीमती नेमा देवी बनाम अजय और अन्य की प्रति संलग्न की जा रही है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 1 (f) (ii)– साक्ष्यों का मूल्यांकन (Appreciation of evidences)– The appreciation of evidence in cases is not proper, which led to wrong acquittal. मेरे द्वारा

पारित निर्णयों– 1– पी0एस0टी0 02/2017 सरकार बनाम पवन, 2– पी0एस0टी0 5668/2016 सरकार बनाम प्रेमपाल, 3– पी0एस0टी0 1776/2017 सरकार बनाम शैलेन्द्र कुमार, 4– पी0एस0टी0 735/2015 सरकार बनाम महिपाल और अन्य, 5– पी0एस0टी0 883/2016 सरकार बनाम टिंकू उर्फ टिंकूलिया उर्फ कृष्णकांत, 6– पी0एस0टी0 5680/2016 सरकार बनाम प्रमोद कुमार, 7– पी0एस0टी0 1056/2015 सरकार बनाम सुल्तान सिंह में, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में निर्वचन करके, विधि एवं अपराध के तत्वों का उचित विश्लेषण करके, सुसंगत अधिनियम एवं प्रावधानों का परिशीलन करते हुये, निर्णय में माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतो का अनुपालन करके, पारित किये गये है। उपरोक्त निर्णयों को किसी भी माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा मेरी जानकारी में खण्डित नही किया गया है। वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 1(f) (ii) में क्रम संख्या 02 पर पी0एस0टी0 सं0– 5668/2016 सरकार बनाम प्रेमपाल को श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त करना दिखाया है, जबकि प्रार्थी ने उक्त मामलें में अभियुक्त प्रेमपाल को दोष सिद्ध किया है, जिनकी पुष्टि हेतु वार्षिक प्रविष्टि में वर्णित कुछ निर्णयों 1– पी0एस0टी0 5668/2016 सरकार बनाम प्रेमपाल, 2– पी0एस0टी0 1776/2017 सरकार बनाम शैलेन्द्र कुमार की प्रति संलग्न की जा रही है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, मेरे द्वारा पारित निर्णयों के सम्बन्ध में जो टिप्पणी की गई है, उसमें कोई ठोस आधार नहीं है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (f) (iii)- कानून का अनुप्रयोग (Application of law)- Application of law was not applied in true spirit. मेरे द्वारा पारित निर्णयों– 1– पी0एस0टी0 19/2014 सरकार बनाम स्वदेश कुमार, 2– पी0एस0टी0 1148/2023 सरकार बनाम चांद बाबू और अन्य, 3– पी0एस0टी0 2611/2017 सरकार बनाम सौरभ यादव, 4– पी0एस0टी0 5231/2016 सरकार बनाम सुनील कुमार, 5– पी0एस0टी0 1826/2016 सरकार बनाम रामकिशन, 6– पी0एस0टी0 2187/2016 सरकार बनाम टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत, 7– पी0एस0टी0 1344/2017 सरकार बनाम अनुज उर्फ छोटू नाई में सुसंगत विधिक प्रावधानों का वर्णन, पीड़िता की आयु निर्धारण, अपराध एवं विधि का विवेचन करते हुए, माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किये गये है। (क्रम संख्या 05 पर पी0एस0टी0– 1826/2016 सरकार बनाम रामकिशन, को दोष सिद्ध किया है), जिनकी पुष्टि हेतु वार्षिक प्रविष्टि में वर्णित कुछ निर्णयों 1– पी0एस0टी0 19/2014 सरकार बनाम स्वदेश कुमार, 2– पी0एस0टी0 2611/2017 सरकार बनाम सौरभ यादव, 3– पी0एस0टी0 5231/2016 सरकार बनाम सुनील कुमार, 4– पी0 एस0टी0 1826/2016 सरकार बनाम रामकिशन, 5– पी0एस0टी0 2187/2016 सरकार बनाम टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत, की प्रति संलग्न की जा रही है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये अभिमत की, मेरे द्वारा निर्णय पारित करते समय कानून का सही अर्थो में प्रयोग नही किया गया है, यह श्रीमान जनपद न्यायाधीश का व्यक्तिगत अभिमत हो सकता है, परन्तु निर्णयों के परिशीलन से, उक्त टिप्पणी तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत व आधारहीन है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा पारित निर्णय किसी भी माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा खण्डित नही किये गये है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (f) (iv) में मेरे द्वारा पारित निर्णयों की क्षमता को B श्रेणी में रखते हुये, मेरे कार्यो का मूल्यांकन किया गया है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने मूल्यांकन का आधार, वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (f), 1 (f) (i), 1 (f) (ii) एवं 1 (f) (iii) को बनाया गया, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रस्तरवार स्पष्टीकरण दिया गया है, जबकि प्रार्थी ने उपरोक्त निर्णय एवं आदेश, कानून एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर, सम्यक एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये, उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत, मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों की समुचित व्याख्या करते हुये, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर, माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्वांतों के अनुपालन में पारित किये है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, मेरे निर्णय पारित करने की क्षमता के सम्बन्ध में दिया गया अभिमत, बिना किसी ठोस आधार के, मात्र उनकी व्यक्तिगत भावना पर आधारित है। ऐसी स्थिति में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणी को संसोधित करके उच्चीकृत करने की कृपा करें।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (l)– श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने मुझे न्यायालय में डॉयस पर, सामान्यतः समय से बैठना पाया है। महोदय द्वारा ऐसा कोई भी दृष्टांत नही दिया गया, जिसमें प्रार्थी को न्यायालय में समय से बैठना नहीं पाया गया हो।

वार्षिक प्रविष्ठि के पैरा 1 (m) में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, जनपद न्यायाधीश एंव वरिष्ठ अधिकारियों की राय को सदैव मानना कहा है परन्तु कभी–कभी मुझको राय की आवश्यकता होना कहा गया है जिसके सम्बन्ध में मुझे अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 106/2023 दिनांक 10.08.2023, अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 44/2024 दिनांक 02.02.24, अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 45/2024 दिनांक 18.03.2024, अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 93/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 94/2024 दिनांक 22.03.2024 दिये गये है, जिनका, प्रार्थी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी राय का, सम्मान करते हुए अक्षरशः अनुपालन किया है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा <u>अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 106/2023 दिनांक 10.08.2023</u> श्रीमती अनीता, लिपिक के माध्यम् से दिनांक 07.08.2024 को, मेरे समक्ष टेलीफोन बिल प्रस्तुत करके, उन पर हस्ताक्षर न करना, कहकर मेरी प्रशासनिक क्षमता पर, प्रश्नचिन्ह लगाया है। मैने अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 19.08.2023 में निवेदन किया है कि जिस समय श्रीमती अनीता, टेलीफोन बिलो पर हस्ताक्षर कराने मेरे न्यायालय के आशुलिपिक कक्ष में आयी थी, तब मैं अति प्रचीनतम् वाद पी0एस0टी0 2187/2016 सरकार बनाम टोनी उर्फ लक्ष्मीकांत के मामले में, श्री राकेश कुमार सिंह, आशुलिपिक, को उनके कक्ष में, सीधे कम्प्यूटर पर आदेश टंकित करा रहा था। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा मुझे आदेश दिनांक 27.07.2024 से प्रभारी अधिकारी टेलीफोन, मोबाइल, भवन, न्यायालय कक्ष एवं आवासीय भवन आदि बनाया था, जिसकी जानकारी मुझे न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ, से प्रशिक्षण लेने के उपरांत, न्यायालय में दिनांक 07.08.2024 को वापस आने पर हुई, तभी मैने कहा कि यदि, अति आवश्यक न हो तो कल सुबह 11.00 बजे मेरे पास शेष सभी बिल व इस मद में अवशेष बजट धनराशि सम्बन्धित विवरण लेकर आईयेगा, तो उन्हे देखकर, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। श्रीमती अनिता ने कहा कि श्रीमान जी यह अति आवश्यक नही है, कल सुबह कर दीजियेगा। उस समय शाम के 4.00 बज रहे थे। मैने हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं किया था, बल्कि प्रभारी अधिकारी टेलीफोन, मोबाइल आदि बनाये जाने की जानकारी उसी दिन होने के कारण, समस्त सम्बन्धित बिल, प्रपत्र एवं बजट आदि देखकर, अति आवश्यक न होने के कारण दूसरे दिन प्रातः 11.00 बजे हस्ताक्षर कराने हेतु, श्रीमती अनीता को निर्देशित किया था।

यहां पर यह उल्लिखित कर देना भी समीचीन होगा कि दिनांक 06.07.2024 को प्रतिलिपि अनुभाग, (सिविल), में नियुक्त, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती रागिनी गोयल से, महिला शौचालय में ताला लगाने को लेकर, श्रीमान जनपद न्यायाधीश से, मुख्य न्याय भवन के प्रथम तल पर, मेरे न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद हुआ। जनपद न्यायालय के समस्त तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पुलिस कर्मचारीगण और विद्वान अधिवक्ताओं ने उक्त प्रतिवाद को स्वयं देखा और कई व्यक्तियों/ अधिवक्ताओं द्वारा उक्त मामलें की वीडियो रिकोर्डिंग की गयी थी। श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने अपने मोबाइल में स्वयं सम्पूर्ण घटना को रिकार्ड किया और हम सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने चैम्बर में आकर दिखाया कि..... देखिये..... रागिनी किस प्रकार से अशोभनीय एवं असम्मानजनक तरीके से, मुझसे प्रतिवाद कर रही है। मैंने Grivance Redressal Committee का प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ सदस्य होने के कारण, (अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए), श्रीमती रागिनी से लिखित माफीनामा लिखवाकर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को दिया था।

बार ऐसोशियशन फिरोजाबाद, के अधिवक्ताओं के, दिनांक 18 जुलाई 2023 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने पर, ग्रीवांस रेड्रेशल कमैटी का पूर्व सदस्य होने के बावजूद, श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने, प्रशासनिक आदेश सं0 102/2023 दिनांक 20.07.2023 से, तीन सदस्यीय समिति गठित करके, मुझे कमैटी का अध्यक्ष एवं श्री इफराक अहमद एवं श्री अवधेश यादव को सदस्य नियुक्त किया। मेरी अध्यक्षता में उक्त समिति की अनेक बैठकें, बार के अध्यक्ष श्री जे0पी0 यादव, एडवाकेट, अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता करके, पांच दिन पुरानी, अनिश्चित कालीन हड़ताल को समाप्त कराया गया, जिसकी भूरी– भूरी प्रशंसा, बार एसोशियशन फिरोजाबाद ने एवं श्रीमान जनपद

न्यायाधीश ने स्वयं की और मेरी प्रशासनिक कार्यक्षमता का, लोहा मानते हुए मुझे, आर्शीवाद/साधुवाद दिया। अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 106/2023 दिनांकित 10.08.2023 एवं मेरे द्वारा स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न है।

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 44/2024 दिनांक 02.02.2024– एस0टी0सं0 1055/2024 अपराध सं0 15/2024 सरकार बनाम सुमित चौहान अन्तर्गत धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना दक्षिण फिरोजाबाद में, घटना दिनांक 09.01.2024 को, पीड़िता खुशी शर्मा की, हाईस्कूल अंकपत्र में अंकित जन्म तिथि 28.09.2005 के अनुसार, उसकी आयु 18 वर्ष 03 माह 11 दिन की व्यस्क थी, की बाबत दिया गया। विवेचक ओंकार नाथ यादव ने स्वयं पीड़िता की आयु की गणना की थी और पीड़िता को व्यस्क मानते हुए उसका रिमाण्ड आदेश लेने हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अभियुक्त सुमित को साथ लेकर चले गये। बादहू श्रीमान जनपद न्यायाधीश से मेरे द्वारा रिमाण्ड न करने की शिकायत की। श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने टेलीफोन वार्ता में कहा कि आप कहां है और आपने रिमाण्ड क्यों नहीं किया ? और यह भी चर्चा की, कि घटना दिनांक को पीड़िता हाईस्कूल अंकपत्र के अनुसार व्यस्क थी।

प्रार्थी तुरंत श्रीमान जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में गया, तो वहां, श्री अवधेश पाण्डेय, श्री अवधेश कुमार सिंह यादव, श्री नवनीत गिरि एवं अन्य न्यायिक अधिकारी बैठे हुए थे। प्रार्थी ने कहा कि मैं आ गया हूं, अतः मैं रिमाण्ड प्रपत्रों को देखकर विधिसम्मत आदेश पारित कर देता हूं, तो श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने मुझे, स्पष्ट शब्दों में मना करते हुए, प्रभारी अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय को रिमाण्ड आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया, उन्होने श्रीमान जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में, मेरे समक्ष, केस डायरी, पीड़िता की हाईस्कूल अंकपत्र में वर्णित जन्म तिथि 28.09.2005, धारा 94 (2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार, हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर पीड़िता व्यस्क हाने के बावजूद, मेरी बात को दरकिनार करते हुए, पाक्सो अधिनियम में अनुचित रिमाण्ड आदेश पारित कर दिया। बादहू दिनांक 11.03.2024 को, विवेचक ओंकार नाथ यादव द्वारा उपरोक्त मामले में, अभियुक्त सुमित चौहान के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम में न्यायालय प्रेषित किया। मेरे द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान न लेते हुए, विस्तृत आदेश पारित करते हुए, किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से अग्रिम विवेचना कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद, को आदेशित किया। पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद, ने न्यायालय के आदेश अनुपालन में, तत्काल मामले की विवेचना योगेन्द्र पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना दक्षिण, को सुपुर्द करते हुए, उसका विधिक निस्तारण करने हेतु आदेशित किया और पॉक्सो न्यायालय को कृत कार्यवाही की सूचना प्रेषित की। मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2024 के विरूद्व, राज्य द्वारा, कोई भी अपील/निगरानी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी, जो यह सिद्व करता है कि मेरे द्वारा जो आदेश पक्षकार के विरूद्व, पारित किया गया है वह उस पक्षकार को स्वीकार्य है और अनंतिम हो चुका है। अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 44/2024 दिनांकित 02.02.2024 एवं मेरा स्पष्टीकरण दिनांक 13.02.2024 एवं आदेश दिनांक 11.03.2024 की प्रति संलग्न है।

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 45/2024 दिनांक 18.03.2024 एवं 93/2024 दिनांकित 22.03.2024– उपरोक्त दोनो अर्द्ध शासकीय पत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.03.2024 सम्पन्न होने के 10 दिन बाद इस बाबत प्राप्त हुआ कि मैने राष्ट्रीय लोक अदालत में पीले रंग की टी–शर्ट पहने हुयी थी। मेरे द्वारा दोनो अर्द्ध शासकीय पत्रों के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया कि मेरे द्वारा पीले रंग की टी–शर्ट कतई नहीं पहने गई थी, बल्कि हल्के पीले रंग का पूरे बांह का स्वेटर पहना हुआ था और राष्ट्रीय लोक अदालत में, मैं डायस पर, शालीन परिधान पहने हुए था।

मैने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, की अधिसूचना के अनुपालन में पॉक्सो न्यायालय का कार्यभार दिनांक 12.04.2024 को अपराहन में छोड़ दिया, तब मुझे शाम 3.57 बजे, श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, आदेश सं0 38/2024 दिनांक 12.04.2024, मुझे प्राप्त कराया गया, जिसमें उन्होने स्वयं माना कि मेरे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में, पीले रंग का स्वेटर पहना था, न कि डायस पर। अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 45/2024 दिनांक 18.03.2024 एवं 93/2024 दिनांकित 22.03.2024 की प्रति संलग्न है।

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 94/2024 दिनांक 22.03.2024– श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.03.2024 को, दोपहर 12.15 बजे आकस्मिक निरीक्षण के समय, मुझे न्यायालय कक्ष में न पाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया। मैने स्पष्टीकरण दिनांक 01.04.2024 में उल्लिखित किया है कि मैं उस दिन प्रातः 10.30 बजे समय से न्यायालय कक्ष में, डायस पर, बैठा गया था। मेरे द्वारा लगभग 12.00 बजे तक विभिन्न पत्रावलियों में पुकार लगवाकर उनका अवलोकन किया गया, तत्पश्चात् मैं लघुशंका निवारण हेतु अपने विश्राम कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे न्यायालय में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि, श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, स्वयं, अपने मोबाइल से, न्यायालय के अंदर, वीडियोग्राफी करते हुए, उपस्थित कर्मचारियों से पूछतांछ की और पी0एस0टी0 सं0 1199/2021 सरकार बनाम लाखन सिंह की पत्रावली में उपस्थित साक्षी हरिपाल सिंह पुत्र हरि सिंह से भी, अपने मोबाइल से न्यायालय कक्ष में रिकार्डिंग करते हुए पूछतांछ की गयी है। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान, लघुशंका निवारण हेतु न्यायालय से विश्राम कक्ष में जाना, अनुपस्थिति का समुचित कारण था। रीडर द्वारा साक्षी हरिपाल सिंह का बयान नहीं लिखा गया था, केवल उसका नाम, पता और न्यायालय का नाम ही लिखा गया था। मेरा स्पष्टीकरण दिनांक 01.04.2024 एवं लिखे गये साक्षी के बयानों की छाया प्रति संलग्न है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 4 में 07 जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1– 2153/2023, 2– 2126/2023, 3– 1523/2023, 4– 84/2024, 5– 4184/2023 6– 4384/2023, 7– 3818/2023 अन्तर्गत धारा 376डी, 376,363,366 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में जमानत देते हुए अन्य जमानत प्रार्थनापत्र खारिज करना कहा है। जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1– 2153/2023, 2– 2126/2023, 5– 4184/2023 एवं 7– 3818/2023 में, पीड़िता के बयान धारा 161 व 164 दं0प्र0सं0 में विरोधाभाष, अभियुक्त के द्वारा उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती या गलत काम नहीं करना नही कहा गया है। अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ जाना और स्वयं को बालिग होना कहा है। वादी, पीड़िता एवं अभियोजन ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। वादी, पीड़िता एवं अभियोजन ने उक्त जमानत आदेश से व्यथित होकर उक्त आदेश को निरस्त कराने के लिये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका प्रस्तुत नहीं की है और उक्त जमानत दिये जाने की शिकायत श्रीमान जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नहीं की है। माननीय महोदय मेरे द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र मामले के तथ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुण–दोष पर निस्तारित किये गये है। 3– 1523/2023 में मेरे द्वारा अभियुक्त सूरज का जमानत प्रार्थना पत्र 4513/2022 दिनांक 15.12.2022 को निरस्त किया गया था। मैंने मात्र धारा 506 भा0दं0सं0 में जमानत दी थी। मुख्य अपराध में अभियुक्त सूरज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत पर था। 4– 84/2024 एवं 6– 4384/2023 में अभियुक्तों की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से पूर्व में हो चुकी थी और अभियुक्त वारण्ट पर गिरफ्तार/समर्पण करके न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अभियुक्तों को जिला कारागार में निरूद्व करके शर्ताधीन जमानत स्वीकार की गयी है। उपरोक्त जमानत आदेशों की प्रति संलग्न है।

* श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 4 में जमानत प्रार्थना पत्र सं0 2256/2023 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में बिना क्षेत्राधिकारिता के स्वीकार करना कहा है। पी0एस0टी0 1592/2018 सरकार बनाम आमीर आदि में न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2023 को अभियुक्त आमिर के विरूद्व धारा 354 भा0दं0 सं0 व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम एवं धारा 3(1)(द) व 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में तथा अन्य अभियुक्तगण जमील खां, एजाद, धनुआ व आकिम के विरूद्व धारा 147,148,323/149,504,506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द) व 3 (1) (ध)एस0 सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप विरचित किये गये है। उपरोक्त मामला एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित होने के बावजूद, अद्यतन पाक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मामले का संज्ञान, पाक्सो के विशेष न्यायालय द्वारा ही लिये जाने के कारण, उक्त पत्रावली का विचारण पॉक्सो न्यायालय द्वारा ही किया जा रहा था। उक्त मामले में अभियुक्त जमील खां की जमानत, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई थी। अभियुक्त जमील का एन0बी0डब्लू प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उसको जेल भेजकर, बादहू उसकी जमानत शर्ताधीन स्वीकार की गयी। जमानत आदेश की प्रति संलग्न है।

* धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रार्थनापत्र, 1– फौ0 प्र0 सं0 550/2023, 2– फौ0 प्र0 सं0 1011/2023, 3– फौ0 प्र0 सं0 858/2023, 4– फौ0 प्र0 सं0 997/2023, 5– फौ0 प्र0सं0 994/2023, 6– फौ0 प्र0 सं0 943/2023 प्रथम दृष्टया मामला बनने के बावजूद निरस्त करना कहा है। मेरे द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में, सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत करने के उपरांत, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किये गये है। आदेशों की प्रति संलग्न है।

* पी0एस0टी0सं0 1– 2767/2017, पी0एस0टी0सं0 2– 471/2015, पी0एस0 टी0सं0 3–1695/2017, पी0एस0टी0 सं0 4– 3195/2019, धारा 299 दं0प्र0सं0 में, साक्षी के बयान अंकित किये बिना और उससे पूर्व धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही किये बिना निरस्त करना कहा है। माननीय महोदय मेरे द्वारा उपरोक्त मामलों में धारा 299 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही अग्रसारित करने से पूर्व, अभियुक्तो के विरूद्व विधिक प्रक्रियाओं का अनुशरण करते हुए एन0बी0डब्लू0 व 82/83 दं0प्र0सं0 की आदेशिकाएं जारी करके, साक्षियों के बयान पत्रावली में अंकित करने के उपरांत, नियमानुसार मामले की कार्यवाही, अन्तर्गत धारा 299 दं0प्र0सं0 में अग्रसारित करते हुये, अभियुक्तों के विरूद्व स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करते हुए, समस्त कार्यवाही सम्बन्धित थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा, करने हेतु थानाध्यक्ष को आदेशित किया और प्रधान अभिलेखागार को पत्रावली नष्ट न करने और अभियुक्त के भविष्य में गिरफ्तार/उपस्थित आने पर, अभिलेखागार से पत्रावली न्यायालय द्वारा तलब करने पर, अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया है।

अंतिम आख्या सं0 858/2023 साक्ष्य उपलब्ध होने पर भी आपत्ति याचिका निरस्त करते हुये स्वीकार करना कहा है। मेरे द्वारा, उपरोक्त उल्लिखित अंतिम आख्या का निस्तारण केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, वादी की आपत्ति याचिका के प्रकाश में करते हुये, केस डायरी के पर्चो का उल्लेख अपने आदेश में करते हुए, माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के आधार पर, गुणदोष पर विधि सम्मत, साक्ष्य सम्मत एवं न्यायसंगत आदेश पारित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि वार्षिक प्रविष्ट वर्ष 2023–2024 के पैरा 1 (c), 1 (f) ,1 (f) (i) , 1 (f) (ii), 1 (f) (iii), 1 (f) (iv), 1 (l), 1 (m), एवं पैरा 4, में श्रीमान जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा, दी गयी प्रतिकूल टिप्पणियों की बावत, मेरे द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष रखते हुये, श्रीमान जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा दी गई वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2023–24 को संशोधित कर, उच्चीकृत (Upgrade) कराने की महती कृपा करें।

सादर !

दिनांक– 27.09.2024

भवदीय,

(विजय कुमार आजाद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट0)
सीतापुर।
(I.D.-UP6013)

VIJAY KUMAR AZAD

Digitally signed by VIJAY KUMAR AZAD
Date: 2024.09.27 14:24:02 +05'30'